लरेश देवी बनाम हरिनारायण

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	178/18 दायर आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/3/24	पत्रावली पेश हुई, वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। जब्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई, उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदमपैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:19:55 IST
Reason: SelfAttested